

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

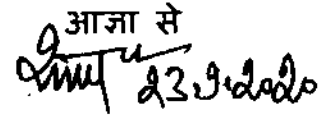
आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1757 /2020 दिनांक 23.09.2020

डॉ. मनीषा चौधरी (RJ0450), अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जोधपुर महानगर को दिनांक 07.09.2020 से 11.09.2020 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 06.09.2020 एवं 12.09.2020 से 13.09.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. चौधरी की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्र.), जोधपुर महानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जोधपुर महानगर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/83/2002/ 5092 दिनांक : 23.09.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 4216 दिनांक 14.09.2020 के सन्दर्भ में।
3. डॉ. मनीषा चौधरी (RJ0450), अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जोधपुर महानगर।
4. अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जोधपुर महानगर।
5. विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्र.), जोधपुर महानगर।


सहायक रजिस्ट्रार